

**Government of India (Bharat Sarkar)**  
**Ministry of Railways (Rail Mantralaya)**  
**(Railway Board)**

No. 2012/TG-I/20/P/Lower Berth

New Delhi, dated 23.03.2016

**Chief Commercial Managers,**  
**All Zonal Railways.**

**(Commercial Circular No. 14 of 2016)**

**Sub: Earmarking of Reservation Quota for Women and Senior Citizens.**

Please refer to this office letter of even No. dated 18.04.2007 (CC No. 40 of 2007) wherein instructions were issued for earmarking of combined quota of two lower berths per coach in Sleeper, AC-3 Tier and AC-2 Tier classes for following category of passengers while travelling alone:-

- a. Senior Citizens;
- b. Female passengers 45 years of age and above; and
- c. Pregnant women.

1.1 The above said quota in Sleeper class was enhanced to four lower berths per coach vide Commercial Circular No. 51 of 2015 issued on 31.08.2015. No change was, however, made in this quota in 3AC and 2AC classes.

2. Keeping in view the announcement made in the Railway Budget for the financial year 2016-17 regarding enhancement of this quota, the matter has been examined and it has been decided to enhance the above said quota as under:-

Class	No. of Lower Berths per coach	
	Existing	Revised
Sleeper	4	6
3AC	2	3
2AC	2	3

3. It has also been decided that in Rajdhani, Duronto and fully Air Conditioned/Express trains, the number of lower berths to be earmarked under this quota in 3AC class should be 4 lower berths per coach as against 3 lower berths per coach in case of normal Mail/Express trains.

4. Necessary action may be taken accordingly to define this quota from ARP or no booking date whichever is earlier which in no case should be later than 01.09.2016.

V.S. Singh  
22/3/16

(Vikram Singh)  
Director Passenger Marketing  
Railway Board

Copy to:

1. CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2. ADG/PR Railway Board.
3. MD/IRCTC, Bank of Baroda Building, Parliament Street, New Delhi.
4. General Manager/PRS-I, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5. Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6. The Principals, Zonal Training Centers, Central Railway, Bhusaval, Eastern Railway, Dhanbad, Northern Railway, Chandausi, NE Railway, Muzaffarpur, NF Railway, Alipurduar, Southern Railway, Trichy, South Central Railway, Maula Ali, SE Railway, Sini, Western Railway, Udaipur.
7. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Luknow-2260011.
8. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No.370, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Secretary General, Indian Railway Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhavan, 33/1, J L Nehru Road, Kolkata-71.

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय  
(रेलवे बोर्ड)

\*\*\*\*\*

सं. 2012/टीजी-1/20/पी/लोअर बर्थ

नई दिल्ली, दिनांक 23.03.2016

मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक,  
सभी क्षेत्रीय रेलें।

(2016 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 14)

**विषय: महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरक्षण कोटा निर्धारित करना।**

कृपया इस कार्यालय के दिनांक 18.04.2007 के समसंख्यक पत्र (2007 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 40) का अवलोकन करें जिसमें अकेले यात्रा करते समय निम्नलिखित कोटि के यात्रियों के लिए स्लीपर, एसी-3 टियर और एसी-2 टियर श्रेणियों में प्रति कोच दो निचली बर्थों का संयुक्त कोटा निर्धारित करने के अनुदेश जारी किए गए थे:-

- क. वरिष्ठ नागरिक;
- ख. 45 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिला यात्री; तथा
- ग. गर्भवती महिलाएं।

1.1 स्लीपर श्रेणी में उपर्युक्त उल्लिखित कोटे को 31.08.2015 को जारी 2015 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 51 के तहत बढ़ाकर प्रति कोच, चार निचली बर्थ किया गया था। बहरहाल, 3एसी और 2एसी श्रेणियों के इस कोटे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था।

2.2 इस कोटे को बढ़ाने के लिए वित्त वर्ष 2016-17 के लिए रेलवे बजट में की गई घोषणा को ध्यान में रखते हुए इस मामले की जांच की गई और उपर्युक्त कोटे को निम्नानुसार बढ़ाने का विनिश्चय किया गया है:-

श्रेणी	प्रति कोच निचली बर्थों की संख्या	
	मौजूदा	संशोधित
स्लीपर	4	6
3एसी	2	3
2एसी	2	3

3. यह भी विनिश्चय किया गया है कि सामान्य मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के मामले में प्रति कोच 3 निचली बर्थों की तुलना में, राजधानी, दूरतों और पूरी तरह से वातानुकूलित /एक्सप्रेस गाड़ियों में 3एसी श्रेणी में इस कोटे के तहत निर्धारित की जाने वाली निचली बर्थों की संख्या प्रति कोच 4 की जानी चाहिए।

4. तदनुसार, एआरपी अथवा बिना बुकिंग तारीख जो भी पहले हो, जो किसी भी स्थिति में 01.09.2016 से बाद की नहीं होनी चाहिए, से इस कोटे को निर्धारित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए।



(विक्रम सिंह)

निदेशक यात्री विपणन

रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:

- 1) सीसीएम/पीएम और सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें।
- 2) एडीजी/पीआर, रेलवे बोर्ड।
- 3) प्रबंध निदेशक/आईआरसीटीसी, बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
- 4) महाप्रबंधक/पीआरएस-1, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
- 5) महानिदेशक, प्रोफेसर/ प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/ वाणिज्यिक, रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।
- 6) प्रिंसिपल, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/धनबाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्वोत्तर रेलवे/ मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/ अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/ त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, पश्चिम रेलवे/ उदयपुर।
- 7) निदेशक, भारतीय रेल यातायात प्रबंधन संस्थान, हरदोई बाइपास रोड, मानक नगर, लखनऊ- 2260011
- 8) जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
- 9) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंटी रोड, नई दिल्ली।
- 10) सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, (फ्रोआ), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 11) सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 12) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 13) सीटीएम, मेट्रो रेलवे, मेट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71